



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 159/18

निर्णय दिनांक: 26.04.2018

1. जसराम पुत्र रामलाल जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील
सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 15-07-1995
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 15-07-1995 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 7 एम. एम. के मुरब्बा नम्बर 93/7 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24.10

बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 15-07-1995 को किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी दिनांक 24-01-1997 को जारी कर दिया गया। अपीलांट द्वारा जरिये चालान संख्या 436 दिनांक 14-03-1996 को अपीलांट को आवंटित भूमि की एवज में 35 प्रतिशत राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। परन्तु अपीलांट को वादगत् भूमि कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटित हो चुकी है तथा उनके नाम से खातेदारी दर्ज हो चुकी है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये हैं। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने का कथन किया जाता रहा है। अपीलांट को आज दिनांक तक वादगत् भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन को खारिज किये बिना ही वादगत् भूमि का आवंटन अन्य व्यक्ति को किया गया है। ऐसे

एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 15-07-1995 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति सताराम पुत्र आईदान जाति जाट साकिन पूगल आदि को आवंटनशुदा भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-07-1995 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 23-03-2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।
7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा विशेष आवंटन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 7 एम.एम. के मुरब्बा नम्बर 93/7 के किला नम्बर 1 ता 25 में 24.10 बीघा भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 15-07-1995 को किया गया तथा अपीलांट द्वारा उक्त आवंटन को पश्चात् निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि जरिये चालान संख्या 436 दिनांक 14-03-1996 जमा करवाने के पश्चात् व आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी दिनांक 24-01-1997 को जारी कर दिया गया। इस प्रकार अपीलांट के आवंटन की तमाम कार्यवाही पूर्ण हो चुकी थी परन्तु अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति को आवंटितशुदा भूमि थी।

(2) जहाँ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई चूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(3) अपीलांट को पूर्व में अन्य आवंटियों को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या आराजी जैर आवंटन दिनांक को अपीलांट की पात्रता अनुसार शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को पूर्व में आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। जो स्पष्ट रूप से अयुक्तियुक्त आवंटन है।

(4) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा ना तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अपीलांट को अन्यत्र भूमि आवंटन की कोई कार्यवाही सम्पादित की गई है। ऐसी स्थिति में अततः अपीलांट को न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता।

(5) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत

कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलान्ट को नहीं दिया जा सकता।

(6) प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2073-2076 के अनुसार वादगत् भूमि सताराम पुत्र आईदान जाति जाट साकिन पूगल को आवंटनशुदा भूमि होना व विरासतन चुनीदेनी पत्नि सताराम, देवाराम, बाकाराम पुत्रगण सताराम, ममता पुत्री सताराम बहिस्सा बराबर दर्ज खातेदारी होना साबित है। अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलान्ट का आवंटन खारिज करते हुए उसे अन्यत्र भूमि प्रदान की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलान्ट का आवंटन खारिज किया गया व न ही अपीलान्ट को अन्यत्र भूमि प्रदान की गई है। अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किये जाने के फलस्वरूप ही अपीलान्ट को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी है। अपीलान्ट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है।

(7) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो पूर्व में अन्य को आवंटित होने के कारण अपीलान्ट उसी श्रेणी की विवादरहित भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलान्धीन आदेश दिनांक 15-07-1995 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.04.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर